Sl. No 2 (हि.)

(11)

By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/2/Gujarat/VC/2017/RU-I   Date: 31/03/2017

To

1. The Chief Secretary,
   Government of Gujarat,
   Block No.1, 3rd floor,
   New Sachivalaya Complex,
   Gandhinagar-382010.
   Gujarat.

2. The Secretary,
   Govt. of Gujarat,
   Tribal Development Department,
   6th Floor, Block 8,
   New Sachivalaya ,Gandhinagar
   Gujarat 382010.

Sub: Tour Report from 25/02/2017 to 27/02/2017 of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to State of Gujarat.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour Report dated 25/02/2017 to 27/02/2017 of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on the subject mentioned above for necessary action.

It is requested that reply / Action Taken Report on the Tour Report may be furnished to this Commission at the earliest.

Enclosure: as above.

2090-91
06/4/17
जारी किया

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to: -
1. Kindly up load on the website of the Commission.

O/C

NIC cell

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसुईया उइके दिनांक 25.02.2017 से 27.02.2017 तक गुजरात के राजकीय प्रवास पर थी | इस राजकीय प्रवास का उद्येश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लेना, समीक्षा करना तथा समस्त आदिवासी समाज, गुजरात द्वारा आयोजित अभिवादन समारोह में भाग लेकर जनजाति समुदाय को आयोग की शक्तियों व कार्यों से अवगत करते हुए उनसे जुडी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानना था, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

दिनांक: 25.02.2017

1. माननीय उपाध्यक्ष महोदया के सर्किट हाउस, गाँधीनगर पहुँचने पर श्री आर. सी. मीणा, सचिव, जनजाति विकास विभाग, श्री रविशंकर, आयुक्त, जनजाति विकास आयुक्तालय, श्री अनिल पटेल, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, डॉ प्रदीप गरासिया, प्रमुख, समस्त आदिवासी समाज, गुजरात व अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया | श्री आर. सी. मीणा ने जनजाति विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया की राज्य में लगभग 150 एकलव्य विद्यालय तथा 100 से अधिक छात्रावास, जिनमें 80000 से अधिक बच्चे आवासित हैं | यहाँ उन्हें उच्च स्तर की आवासीय सुविधाएँ मुहैया करवाई जा रही है, जिससे उन्हें पढाई का अनुकूल वातावरण मिल सके | श्री मीणा ने बताया की जनजाति समुदाय के आर्थिक - सामाजिक उन्नयन के लिए एकीकृत डेयरी विकास परियोजना (IDDP) एवं कृषि विविधता परियोजना भी चलाई जा रही है |

छायाचित्र - 1: माननीया उपाध्यक्ष महोदया के साथ श्री आर. सी. मीणा, श्री रविशंकर एवं श्री अनिल पटेल

दिनांक: 26.02.2017

2. श्री डी. सी. ठाकुर, सहायक आयुक्त, जनजाति विकास ने माननीय उपाध्यक्ष महोदया से सर्किट हाउस में भेंट कर आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया जिसमे उन्होंने विशेष रूप से ***वनबन्धु कल्याण योजना*** की जानकारी दी |

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. **समस्त आदिवासी समाज, गुजरात** द्वारा सेक्टर 17, गांधीनगर के टाउन हॉल में जनजाति समाज के ऐसे होनहार जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति समाज का विभिन्न क्षेत्रों जैसे - खेल-कूद, कला, संगीत, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज सेवा, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में नाम रोशन किया है, उनका सम्मान एवं अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया | इसमें समूचे राज्य से जनजाति समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया | कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय लोक-नृत्य से हुआ | डॉ. प्रदीप गरासिया, प्रमुख, समस्त आदिवासी समाज, गुजरात ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया की यह समाज का बड़ा ही सुन्दर समागम है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग एवं जन प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और यह अपने तरह का पहला प्रयास है | मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हर क्षेत्र में आज हमारे समाज के लोग अपना परचम लहरा रहे हैं |कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गणपत भाई वसावा, माननीय मंत्री, जनजाति विकास, वन एवं पर्यटन मंत्रालय, गुजरात द्वारा की गई | इस अवसर पर श्री प्रभुभाई वसावा, सांसद, श्री वी. एम. पारगी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुजरात, डॉ. प्रदीप गरासिया, प्रमुख - समस्त आदिवासी समाज, गुजरात, श्रीमती चन्द्रिका बेन बारिया, विधायक, श्री आनंद चौधरी, विधायक, श्रीमती रमिला बेन बांरा, अध्यक्ष - जनजाति विकास निगम, डॉ. अनिल जोशी आरा, विधयक, श्री अनिल पटेल, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री जे. आर. मोथल्या, उप महानिरीक्षक (रेलवे), श्री आर. वी. असारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे |

छायाचित्र - 2: अभिनन्दन समारोह - दर्शक दीर्घा का एक दृश्य

छायाचित्र - 3 : अभिनन्दन समारोह में मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष श्री गणपत भाई वसावा, मुख्य अतिथि सुश्री अनुसुईया उइके, श्री प्रभुभाई, डॉ. प्रदीप गरासिया, श्री वी.एम. पारगी, श्रीमती रमिला बेन, श्रीमती चन्द्रिका बेन, श्री आनंद चौधरी व अन्य गणमान्य व्यक्ति

माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन में आयोजकों की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया की उन्होंने इतने बड़े आदिवासी जन-समूह से मिलने और अपनी बात रखने का मौका दिया | यह विचार न केवल सराहनीय है, बल्कि समाज के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनेकोंनेक युवाओं को प्रेरित करने वाला भी है जिसके परिणामस्वरूप आज देश प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है | विकास के समागम में योगदान चौतरफा है और ये विभूतियाँ इस बात का प्रतीक हैं |

भारत में लगभग 750 अनुसूचित जनजातीयों के लगभग 12 करोड़ लोग के निवास करते हैं | जिनमे 75 जनजातियाँ तो आदिम (पी.टी.जी.) हैं | गुजरात में अनुसूचित जनजातीय जनसँख्या लगभग 90 लाख है जो कुल जनसंख्या का 14.8 प्रतिशत है और 5 अनुसूचित जनजातियाँ (कथौडी, कोतवालिया, पढ़ार, सिद्दी, कोलघा) तो (पी.टी.जी.) हैं | जिनके शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए उन्हें मुख्यधारा में लाने की अधिक आवश्यकता है | माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्वास करते हुए मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, उसे मैं पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करते हुए जनजातीय विकास को गति देने का हर संभव प्रयास करने के वक्तव्य के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी की, एक संवैधानिक निकाय है की संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के अंत:स्थापन के बाद यह 2004 में बना, जिसका मुख्य कार्य अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित सुरक्षणों से जुड़े सभी मामलों की निगरानी करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की योजना व प्रक्रिया में भाग लेन एवं उस पर सलाह देने तथा संघ या राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और उन सुरंक्षणों के कार्यकरण पर राष्ट्रपति को वार्षिक या अन्य समय पर जैसा आयोग ठीक समझे रिपोर्ट प्रस्तुत करना है | आयोग के बारे में लोगों को बहुत ही सीमित जानकारी है अत: शीघ्र ही आयोग के द्विभाषीय IEC सामग्री के माध्यम से, तदुपरांत क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर जागरूक करने का काम किया जावेगा |

छायाचित्र - 4: मुख्य अतिथिय उदबोधन

छायाचित्र - 5: मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए

आयोग के समक्ष अभ्यावेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है | अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के सुरंक्षणों के हनन के संदर्भ में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है साथ ही टोल फ्री नंबर 1800117777 पर भी उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है |

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्या Vice Chairperson
राष्ट्रीय अ ुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने उपस्थित सभी समाज बंधुओं से आग्रह है की अधिकार दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं .... इसके लिए अधिक से अधिक जानकारी लें व आगे प्रसारित करे ताकि लोग इनका उपयोग कर सकें | विशेष रूप से जो कानूनी प्रावधान सन्दर्भित हैं, मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगी और ये सभी आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं -

- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, व नियमावली - 2007,
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 व नियमावली - 1977
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989,
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995,
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 व नियमावली - 2015

इन कानूनी प्रावधानों की माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने विस्तृत जानकारी सभी उपस्थित समाज बंधुओं को दी |

4. **आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बैठक:** अभिनन्दन समारोह के बाद सर्किट हाउस के सभागार

छायाचित्र - 6 : आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके, सर्किट हाउस के सभागार में चर्चा करते हुए

में आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलायी गई जिसमें उन्होंने अपनी-अपनी समस्याओं के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के साथ चर्चा की, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है -

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में चयन हेतु आयोजित होने वाली विभिन्न लिखित परीक्षाओं में **अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत अंक है** जो की सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है | इस कारण से अधिकांश आरक्षित पद रिक्त ही रह जाते हैं | इसी से जुडा हुआ मामला यह भी है की पूर्व से रिक्त

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आरक्षित पदों पर भी एक साथ भर्ती नहीं की जाती जिससे भर्ती के बाद भी आरक्षित पद रिक्त ही रह जाते हैं |

- डॉ. प्रदीप गरासिया ने बताया कि **विभिन्न सरकारी विभागों में रोस्टर का संधारण** नियमानुसार नहीं किया जा रहा है | कई बार ऐसे भी देखा गया है की जब किसी जनजाति के अधिकारी की पदोन्नति होने वाली हो तो नामित पदनाम ही समाप्त कर दिया जाता है और उसे उसी पद पर रहना पड़ता है | दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी के अधिकारी की पदोन्नति के मामले में पदनाम नहीं होने पर पर नया पद सृजित कर दिया जाता है |

- **फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में:** 1956 की अधिसूचना के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या हटाने के लिए प्रावधान हैं | कच्छ में इसकी पुन:जांच की आवश्यकता है और इस हेतु मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या हटाने के लिए कुछ विचार करना चाहिए |

  फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का एक उदाहरण बताया, जिसमें तीन सगे भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा में अलग - अलग श्रेणियों से चयनित हुए | एक अनुसूचित जाति से, एक अनुसूचित जनजाति से तथा एक भाई अन्य पिछड़ा वर्ग से और तीनों अपना-अपना सेवाकाल पूर्ण कर सेवा से निवृत भी हो गए और अभी भी परिवाद न्यायालय में विचाराधीन है | इस तरह की विसंगतियों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है |

- चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश मिलने की पुष्टि होने पर कार्यवाही के नाम पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है, पर कभी भी फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है | उन पर कार्यवाही के प्रावधान, इस तरह की खामियों पर रोक लगाने में अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं |

- बंधुत्व निर्माण योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत वितिय सहयोग से जनजाति महाविद्यालय का संचालन जनजाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है लेकिन इस महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु केवल 15 प्रतिशत सीटें ही आरक्षित हैं | राज्य सरकार की विशेष अनुमति द्वारा इसे 50 प्रतिशत तक बढाया जाना चाहिए | साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि गुजरात में जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की जा चुकी है और इसमें भी जनजाति के छात्रों हेतु विशेष प्रावधान किये जा सकते हैं | एकलव्य विद्यालय की तरह जनजाति छात्रों हेतु समर्पित महाविद्यालय बनाये जावें |

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- सौराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 1 प्रतिशत पद ही आरक्षित हैं तथा इनमें पहाड़ी क्षेत्रों से जनजाति के अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है | इसी प्रकार डांग में जनजातीय जनसंख्या कम है परन्तु जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत है, जो उचित आनुपातिक गणना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है |
- राजस्व रिकार्ड्स में अनुसूचित जनजाति का लेखा-जोखा नहीं है |
- **वन विधिक सहायता** के बारे में यह जानकारी सामने आयी कि राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर की वन समितियों को संवेदनशील होना चाहिए जिससे वो व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर के दावों पर उपयुक्त निर्णय समय पर लिए जा सकें |
- **विस्थापन का मुद्दा**: नर्बदा बाँध के विस्थापितों को मुआवजे के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को एक साल से अधिक होने के बाद भी कोई कार्यवाही आज दिन तक नहीं होनी बताई गयी | इसी प्रकार मधुबन बाँध से लगभग 3000 लोग प्रभावित हैं | सभी विभागों ने प्रभावितों को मुआवजा प्राप्त हो गया बताया हैं, लेकिन वास्तव में मुआवजा मिला किसी को नहीं |
- **निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण** से अनुसूचित क्षेत्र के विभाजित हो जाने से कई बार अनुसूचित जनजाति अल्पमत में आ जाती है और वह क्षेत्र पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 से बाहर हो जाता है |
- **अनुसूचित क्षेत्र की नगर पालिका / नगर परिषद्** में नगर पालिका अध्यक्ष / महापौर (मेयर) गैर जनजाति समाज का ही बनता है | पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के सामान ही नगर पालिका / नगर परिषद् में ऐसे भी प्रावधान होने चाहिए जिससे जनांकिकीय आधार पर राजनैतिक सुरक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए लोकतान्त्रिक व्यवस्था में निष्ठा मजबूत हो |
- **आयकर सीमा में विसंगतियां:** छात्रवृति की पात्रता सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु प्रतिवर्ष पारिवारिक आय 2.5 लाख तक है, जो अभी संशोधित करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 6 लाख कर दी गई है | यह सीमा अनुसूचित जनजाति के मामलों में 2.5 लाख ही रह गयी, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है | इसी तरह की एक और विसंगति सामने आई कि एम.बी.बी.एस. डॉक्टर को 50 लाख के ऋण हेतु पात्रता वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होना है |

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अ ,सूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- जनजाति उप योजना क्षेत्र में परियोजना संचालन हेतु एक ही नियमित अधिकारी है और बाकि सभी पद आउटसोर्स कर भरे गए हैं ऐसे में एक मामला तकनिकी दक्षता का आता है और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लोगों को मौका नहीं मिलाने का आता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग से आने वाले अधिकांश व्यक्ति सामान्य वर्ग से आते हैं |

छायाचित्र - 7 : माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके के साथ आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों का सामूहिक चित्र

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने सभी बिन्दुओं पर चर्चा कर शीघ्र ही संबंधितों द्वारा विकल्पों पर चर्चा करते हुए हल निकाले जाने की सलाह दी जिससे लाभार्थियों को प्रावधानों का समुचित लाभ समय पर मिल सके |

5. **राजकीय कन्या छात्रावास, गांधीनगर:** छात्रावास की छात्राओं ने माननीय उपाध्यक्ष महोदया का सेक्टर - 12, गाँधीनगर स्थित राजकीय कन्या छात्रावास में कुमकुम का तिलक लगाकर स्वागत किया | निरीक्षण के दौरान श्री अनिल पटेल, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री ठाकुर, सहायक आयुक्त, श्री नरेश व छात्रावास अधीक्षक श्रीमती श्रुति बेन उपाध्याय अन्य छात्रावास कर्मचारियों के साथ उपस्थित मिली | छात्रावास में कुल 150

छायाचित्र - 8 : कन्या छात्रावास, सेक्टर -12, गांधीनगर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से पूछताछ करते हुए माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके

छायाचित्र - 9 : कन्या छात्रावास, सेक्टर -12, गांधीनगर के कमरे का एक दृश्य

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्या Vice Chairperson
राष्ट्रीय अ ,सूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बालिकाएं आवासित हैं जो कक्षा 11 से स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं | इस छात्रावास में कुल 36 कमरे हैं जिनमे 4 स्टोर कक्ष, 1 पुस्तकालय, 1 कार्यालय है | शेष 30 कमरों में 150 छात्राएं आवासित हैं (प्रत्येक कमरे में 5 छात्राएं) |

छात्राओं से वार्ता में उन्होंने जाना की कौन कितने समय से छात्रावास में आवासित है और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं | कमरों के अन्दर जाने पर पता चला कि छात्रावास की हालत बहुत ही ख़राब है | जगह - जगह से प्लास्टर टूटा हुआ है, कुछ टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए हैं, कमरों में सीलन की वजह से बदबू आ रही है | इस तरह की खामियों पर माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने बहुत एतराज जताया और इसका कारण पूछने पर श्री ठाकुर ने बताया कि यह ईमारत सरकारी क्वार्टर हैं और इनकी मरम्मत की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है | हमने कई बार उनको लिखा है पर वो कहते हैं की हमारे पास इस मद में स्वीकृत राशि 1000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति क्वार्टर है जो की बहुत ही कम है, इस कारण इनकी सही तरीके से मरम्मत नहीं हो सकी | इन बालिकाओं के लिए नया छात्रावास बन गया है, केवल बाहर से प्लास्टर बाकि है, तथा अप्रैल माह में इन सभी छात्राओं को वहां स्थानांतरित कर देंगे |

छात्राओं से बातचीत कर उन्हें अधिक मेहनत करते हुए सफलता हासिल करने हेतु प्रेरित किया | स्वयं के बारें में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोचो, करो और वैसे ही बन जाओगे .... लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ निश्चय के साथ सतत मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, इसे उन्होंने निम्न पंक्तियों के साथ छात्राओं को दृढ़ निश्चय एवं मेहनत के महत्व को समझाया -

अगर हौंसला हो, तो पथ भी आसान होता है,
नहीं तो रास्ता भी मौंत के समान होता है ॥
जो हिम्मत जिंदगी की हार जाते हैं ।
उनमें अगर हौंसला हो, तो बाजी मार जाते हैं ॥

माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने सफलता को छात्राओं के परिजनों के दृष्टिकोण से समझाया की आपके माँ - बाप को आपकी सफलता पर गर्व होगा की मेरी बेटी छात्रावास में पढ़कर आज यहाँ पहुँच गयी | इसके साथ ही ईमानदारी, स्वाभिमान, सच्चाई, और सरलता को अपने जीवन में ढालते आगे बढ़ने की सलाह दी |

6. **आदर्श आवासीय विद्यालय (कन्या):** माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने रायसन, गांधीनगर स्थित आदर्श बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जो की एक सुन्दर नई

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बहुमंजिला ईमारत है | निरीक्षण के वक्त छात्रावास अधीक्षक श्रीमती बिनाल बेन वैष्णव व छात्राएं उपस्थित थीं | इस छात्रावास की आवास क्षमता 250 बालिकाएँ है और वर्तमान में यहाँ 72 छात्राएं आवासित व अध्ययनरत हैं जिनमें से 29 छात्राएं 9वीं और 43 छात्राएं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं | छात्रावास में खाने, रहने, पढ़ने आदि की उत्तम व्यवस्था है |

श्री ठाकुर ने रायसन स्थित कन्या छात्रावास के पीछे वाली निर्माणाधीन ईमारत, जिसमें केवल बाहर का प्लास्टर बाकी है, के बारे में बताया की यह छात्रावास भवन अप्रेल से पहले पूर्ण रूप

छायाचित्र - 10: न्यूवासी कन्या शाला व छात्रावास का निरीक्षण कर निर्माणाधीन नया छात्रावास भवन का अवलोकन करते हुए सुश्री अनुसुईयाउइके, उपाध्यक्ष

से तैयार हो जायेगा और इसमें सेक्टर 12 स्थित छात्रावास में आवासित बालिकाओं को सत्रारम्भ में स्थानांतरित किया दिया जावेगा | माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने यह छात्रावास ईमारत देखकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा की यह बहुत ही अच्छा कदम है और आदर्श आवासीय विद्यालय रायसन, गांधीनगर के छात्रावास जैसी अन्य सुविधाएँ यहाँ भी मुहैया करवाई जानी चाहिए, जिससे उनका यहाँ रहकर वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने में मन लगे और वो अपने-अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर समुचित तैयारी कर सकें |

(सुश्री अनुसुईया उइके)

उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi